कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा
(जिला– महोबा (उ0प्र0)

पत्रांक-710 /मान्यता/2014–15 दिनांक : 31/05/2014

प्रबंधक,
रामरतन भुनेश कुमार, पब्लिक स्कूल
कुलपहाड, (महोबा)।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/ महोदया,

आपके तारीख 03–08–2013 के आवेदन और इस संबंध से विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं रामरतन भुनेश कुमार, पब्लिक स्कूल, कुलपहाड महोबा को तारीख 29–05–2014 से तारीख 28–05–2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) अंग्रेजी माध्यम के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रुप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 6 से 8 मे उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितयां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता--पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंध का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा :
   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा :
   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होनें तक किसी भी बालक को बोर्ड परीक्षा उत्त्तीण करने की अपेक्षा नही की जाएगी :
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकशित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा :
   (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशवतता ग्रस्त/विशेष आवश्यकतओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना :
   (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओ के साथ की जाती है । पंरन्तु यह और कि विघमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रांरभ पर न्यूनतम अर्हताये नही है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा :

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कत्तव्यो का पालन करता है ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे ।

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओ की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए 1 प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक यू0पी0एस0–1 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्नक उपावध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,
30/5/14
(मसीहुज्जमॉ सिद्दीकी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महोबा